भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 80

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना

***80. प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः**
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने तथा और अधिक औद्योगिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्यों में वाणिज्यिक कार्यकलापों की धीमी गतियों में तेजी लाने और इसमें वृद्धि करने के लिए किए गए सुरक्षोपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए की गई निर्यात संवर्धन पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) मंत्रालय द्वारा अपने विशाल घरेलू बाजार को इष्टतम स्तर तक विकसित करने और विश्व भर में इसकी पहुंच का विस्तार करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) ई-वाणिज्य निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में की जा रही विभिन्न पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 80 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): उद्योग मुख्य रूप से राज्य का विषय है। केंद्र सरकार निवेश को बढ़ाने और देश के विभिन्न हिस्सों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक पहलें और नीतियां बनाती हैं। भारत सरकार सभी राज्यों में व्यावसायिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सुधारों की रूपरेखा भी उपलब्ध कराती है।

सरकार द्वारा की गई पहलें, कोविड-19 द्वारा उत्पन्न बाधाओं को विकास और निवेश के अवसरों में बदलने के अलावा, निवेश को बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें आत्मनिर्भर पैकेज, चौदह (14) क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरुआत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अंतर्गत निवेश के अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का सॉफ्ट लॉन्च आदि शामिल हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक व्यवस्थागत प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त सभी पहलों/स्कीमों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित किया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति तैयार की है, जिसमें रणनीतिक महत्व के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्रों को स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत (सरकारी अनुमोदन के बिना) 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। लगभग 90 प्रतिशत एफडीआई अंतर्वाह स्वत: अनुमोदन मार्ग के जरिए प्राप्त हुआ है। भारत ने एफडीआई सीमा को बढ़ाकर, विनियामक बाधाओं को दूर करके, अवसंरचना के विकास तथा व्यवसायिक वातावरण में सुधार करके अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए खोलना जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, भारत को एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल स्थल बनाए रखने के लिए सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और शीर्ष उद्योग चैम्बर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करके तथा उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस नीति में समय-समय पर परिवर्तन करती है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, परिसंपत्ति पुनर्निर्धारण कंपनियां, प्रसारण, फार्मास्युटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स गतिविधियां, कोयला खनन, संविदा विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन, आदि से संबंधित एफडीआई नीति के

प्रावधानों को निरंतर उदार और सरल बनाया गया है। हाल ही में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित एफडीआई नीति में सुधार किए गए हैं। वित्त वर्ष 2004-05 से 2013-14 के दौरान प्राप्त 304 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान कुल 596 बिलियन अमरीकी डॉलर का कुल एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ।

(ग): इसके अलावा, देश में ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस में सुधार लाने के लिए, सरकार नागरिकों और व्यवसायों के अनुपालन बोझ को कम करने संबंधी पहलों के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करती है। इस कार्य का उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गवर्नमेंट टू बिजनेस और सिटिजन इंटरफेस के सरलीकरण, युक्तिकरण, डिजिटलीकरण और गैर-अपराधीकरण के जरिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार करना है। निरंतर मूल्यांकन फ्रमवर्क तैयार करने के लिए, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में व्यावसायिक माहौल के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) नामक गतिशील सुधार कार्य शुरू किया है। बीआरएपी के तहत, कार्य योजना में निहित निर्धारित सुधार मानदंडों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। बीआरएपी विभिन्न सुधार क्षेत्रों के व्यवसाय केंद्रित और नागरिक केंद्रित, दोनों प्रकार के सुधारों को कवर करता है। कुछ सुधार क्षेत्र इस प्रकार हैं: निवेश एनेबलर्स, सूचना तक पहुंच और पारदर्शिता, ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, भूमि आबंटन, निर्माण परमिट एनबलर्स, श्रम विनियम एनेबलर्स, पर्यावरण पंजीकरण एनेबलर्स, निरीक्षण एनेबलर्स, उपयोगिता परमिट प्राप्त करना, संविदा लागू करना, नागरिक केंद्रित प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल आदि।

(घ): सरकार भारतीय निर्यातकों को प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा बाजार पहुंच पहल (एमएआई) के तहत सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है जिसमें निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ नियमित द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि नए अवसरों का पता लगाया जाए, व्यापार संबंधी समस्याओं की पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए जिससे भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी होती है।

(ङ): घरेलू विनिर्माण और बाजार का विकास करने तथा भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में से एक उपाय **1.97** लाख करोड़ रुपए (**26** बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय से **14** प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा करना है ताकि भारत की विनिर्माण क्षमताओं तथा निर्यात को बढ़ाया जा सके।

ये 14 क्षेत्र इस प्रकार हैं: (**i**) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (**ii**) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडियरी और सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक, (**iii**) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (**iv**) ओटोमोबाइल और ऑटो घटक, (**v**) फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, (**vi**) विशिष्ट इस्पात, (**vii**) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (**viii**) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (**ix**) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (**x**) खाद्य उत्पाद, (**xi**) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (**xii**) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (**xiii**) एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और (**xiv**) ड्रोन और ड्रोन के पुर्जे। इन पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य, प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता और किफायत सुनिश्चित करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है।

इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करने, विनिर्माण कार्यकलापों को बढ़ाने तथा आर्थिक विकास में योगदान देने की क्षमता है जिससे परिणामस्वरूप इसमें देश के विनिर्माण इकोसिस्टम में बदलाव लाने की क्षमता है तथा यह वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने लगा है।

(च) : डिजिटल अर्थव्यवस्था में सीमापार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में नया अध्याय जोड़ा गया है। एफटीपी 2023 का उद्देश्य कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और एमएसएमई के लिए सीमापार ई-कॉमर्स को सक्षम बनाना है। इसका मुख्य फोकस जागरूकता पैदा करने, कौशल का विकास करने तथा निर्यातकों और उद्यमियों के साथ ज्ञान साझा करना है।

सरकार ने, सीमापार लॉजिस्टिक्स, डाक और सीमा शुल्क अनुपालन तथा सीमापार भुगतान तंत्र से संबंधित पहलुओं को कवर करने के लिए सीमापार ई-कॉमर्स संबंधी मासिक कार्यशालाओं की घोषणा की है। एमएसएमई तथा ई-कॉमर्स निर्यात परिदृश्य का पता लगाने वाले नए निर्यात उद्यमियों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और कन्नड़ में ई-कॉमर्स निर्यात हैंडबुक जारी की गई है। सरकार ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए उद्यमियों की सहायता हेतु क्षेत्रीय डाकघरों और एमएसएमई विकास एवं सहायता कार्यालय (एमएसएमई-डीएफओ) के साथ मिलकर कार्य करती है।

*****